न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/08/2019	26-02-2019	30-05-2019

1–नन्नू सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बाम्बोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1–प्रवीण कुमार पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम बाम्बोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र विविध

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी नन्नू सिंह बनाम प्रवीण को शीघ्र निस्तारण किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व वाद बअनुवानी नन्नू सिंह बनाम प्रवीण उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी का वाद पिछले कई वर्षों से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ में विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ द्वारा उक्त प्रकरण का निर्णय नहीं किया जा रहा है। जिससे प्रार्थी को विवादित आराजी अपने नाम कराने में परेशानी हो रही है। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 215/1.08, 215/3 बीघा 5 बिस्वा, 362/217/1 बीघा 10 बिस्वा, 364/217/ 1 बीघा वाके ग्राम मुण्डपुरी तहसील रामगढ़ मेरे कब्जे काश्त की आराजी है। पूर्व उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः वर्तमान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को राजस्व वाद बअनुवानी नन्नू सिंह बनाम प्रवीण को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित करने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी या अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं। पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ की टिप्पणी न्यायालय हाजा द्वारा बार–बार तलब किये जाने पर भी अप्राप्त है। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व वाद बअनुवानी नन्नू सिंह बनाम प्रवीण का विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार निस्तारण दो माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **30–05–2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)